

फर्द अहकाम

ललित किशोर बनाम कल्याण वर्ग 0

15 / 2021

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6.11.2021	<p>वकील वादी ने वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज 0 काश्तकारी अधिनियम का पेश किया रिपोर्ट सरिरता तलब हो चुकी है। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 22.12.2021 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सौगानेर)</p>	
25/12/21	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली के द्वारा दिनांक 3/3/22 को पेश हो।</p>	
3/3/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली के द्वारा दिनांक 25/12/21 को पेश हो।</p>	
25/12/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली के द्वारा दिनांक 20/3/22 को पेश हो।</p>	
20/3/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं वस्तु बहालत वादी व उनके अधिवक्ता के बार-बार आवाज लगवते नदर - उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद स्वाइज किया जाता है। पत्रावली प्रैसल सुमार दोहर ही नदर से काम हो वाद तामगील दखिल दफ्तर ही।</p> <p>उप-खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय</p>	